परिमंडल स्टाफ कल्याण बोर्ड/ CSWB
कार्यालय :मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार
O/o THE CHIEF GENERAL MANAGER TELECOM
मध्यप्रदेश परिमंडल भोपाल (मप्र) पिन- 462015
MP CIRCLE, BHOPAL (MP) PIN 462015
फोन/Ph :0755-2765681, फ़ैक्स/F :0755-2771600

भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED
(A GOVT OF INDIA ENTERPRISE)

क्र : डबल्यूएल/3-1/परिमंडल कर्मचारी कल्याण बोर्ड/ 15

भोपाल, दिनांक 06/10 /2018

प्रति,

- समस्त बी ए प्रमुख
- समस्त एसएसए प्रमुख
  मध्यप्रदेश परिमंडल

विषय : बीएसएनएल निगमित कार्यालय नई दिल्ली में सम्पन्न बीएसएनएल स्टाफ कल्याण बोर्ड की 12 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

संदर्भ : 1- निगमित कार्यालय का पत्र क्रमांक 12-1/2017 – BSNL (WL), दिनांक 07/09/2018।

2- इस कार्यालय का पृष्ठांकन डबल्यूएल/3-1/परिमंडल कर्मचारी कल्याण बोर्ड/ 15, दिनांक 14/09 /2018।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत बीएसएनएल निगमित कार्यालय नई दिल्ली में सम्पन्न बीएसएनएल स्टाफ कल्याण बोर्ड की 12 वीं बैठक का कार्यवृत्त संदर्भ क्रमांक 1 के संलग्नक में प्राप्त हुआ है जिसे संदर्भ क्रमांक 2 के अनुसार पृष्ठांकित करके एमपी इंट्रानेट पर अपलोड किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु इस कार्यवृत्त के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं :

1- तकनीकी छात्रवृत्ति के दायरे में इंटीग्रेटेड परास्नातक पाठ्यक्रमों (एमबीए तथा एमसीए) को जोड़ा गया है।

2- तकनीकी/ गैर तकनीकी छात्रवृत्ति की दरें पूर्वानुसार रखी गई हैं।

3- बुक अवार्ड की दरें पूर्वानुसार ही रखी गई हैं।

4- इन्सेण्टिव (प्रोत्साहन पुरस्कार) को बंद रखे जाने हेतु यथास्थिति बनाए रखे जाने का निर्णय लिया गया।

5- बुक अवार्ड के लिए वांछित अनिवार्य अंकों का प्रतिशत पूर्वानुसार ही रखा गया है।

6- यह पूर्व-निर्णय भी सुरक्षित रखा गया कि यदि किसी बच्चे को कहीं और से स्कालरशिप मिलती हो तो उसे विभागीय स्कालरशिप नहीं दी जाएगी।

7- किसी कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी के निधन पर कल्याण कोष से त्वरित सहायता राशि को रु 15000/- से बढ़ा कर रु 20000/- कर दिया गया है।

8- दूरसंचार महिला कल्याण संगठन (टीडबल्यूडबल्यूओ) को परिमंडल के आकार के अनुसार रु 25000/- बड़े परिमंडल के लिए, रु 20000/- मझोले परिमंडल के लिए और रु 15000/- छोटे परिमंडल के लिए वार्षिक अनुदान दिया जाना सुनिश्चित किया गया। मध्यप्रदेश में यह राशि परिमंडल स्टाफ कल्याण बोर्ड द्वारा टीडबल्यूडबल्यूओ, परिमंडल कार्यालय को दी जाएगी।

9- दूरसंचार मनोरंजन क्लब और विभागीय आवासीय कल्याण एसोसिएशन को पूर्वानुसार ही ग्रांट दी जाएगी।

10- अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पूर्वानुसार रु 750/- का शाल, रु 500/- का स्मृति चिह्न और रु 3001/- सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।

11- शारीरिक/ मानसिक दिव्यांग बच्चों, श्रवण/वाक बाधित बच्चों और नेत्र-दिव्यांग बच्चों के लिए "ए" और "बी" शहरों में यातायात अनुदान को रु 150/- से बढ़ा कर रु 200/- और अन्य शहरों में रु 100/- से बढ़ा कर 150/- करने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा E-4 स्तर तक के उन सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगी जिनके बच्चे उपरोक्त बीमारियों से ग्रस्त हैं।

12- परिमंडल स्टाफ कल्याण बोर्ड के कोषाध्यक्ष का मानदेय रु 3000/- से बढ़ा कर रु 4000/- करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त निर्णय दिनांक 07/09/2018 से लागू होंगे। समस्त ज़िला कर्मचारी कल्याण मण्डलों के अध्यक्ष/ सचिव/ कोषाध्यक्ष कृपया दिनांक 07/09/2018 से उपरोक्त निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

6/10/18
(के सी आर्य)
सहायक महाप्रबंधक (कल्याण)

Scanned by CamScanner